फर्द अहकाम

सुआ बनाम कुमार गौरव

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

केस संख्या 74/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष टि
	23/6/2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष को प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन रहा कि मूलवाद में प्राथमिक डिक्री किया जा चुका है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि वाद तकासमे का है तथा विवादित आराजी में संयुक्त खातेदारों के हित निहित है अतः एक खातेदार, दूसरे खातेदार को पाबंद नहीं करवा सकता। अतः ना. खारिज की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद बंटवारे का है तथा प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह जाहिर हो कि वर्तमान में ऐसी क्या परिस्थिति है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। तथा सहखातेदारों को पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर